



## कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2026/राजकाज रेफरेंस नंबर

381

दिनांक :- ई हस्ताक्षरित

### -:: कार्यालय आदेश ::-

अनुमोदित ले-आउट प्लान (आवासीय योजना प्रयोजनार्थ) खसरा नम्बर 1730/398 (398 North Side) 399, 400 ग्राम देवली अरब 19800 वर्गमीटर का ले-आउट प्लान का समिति की बैठक दिनांक 05/01/2024 में लिये गए निर्णयानुसार अनुमोदन किया गया था। उक्त योजना में आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.5 प्रतिशत में भूखण्ड सं0 19 से 32 (कुल 14) क्षेत्रफल 16330 वर्गफीट आरक्षित किये गये थे।

योजना में आंतरिक विकास कार्य बाबत चार्टर्ड इंजीनियर के पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 22/03/2025 एवम् अभियांत्रिकी शाखा (सिविल/विद्युत/जल) की रिपोर्ट के आधार पर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के दृष्टिगत आरक्षित भूखण्ड सं0 19 से 32 (कुल 14) क्षेत्रफल 16330 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किये जाने प्रस्तावित है।

इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 12/1/2016 के अनुसार आरक्षित भूखण्डों के 10 प्रतिशत भूखण्डों की आरक्षित दर का 120 प्रतिशत अर्थात् आरक्षित दर + आरक्षित दर का 20 प्रतिशत के आधार पर कीमत की 3 वर्ष के लिए बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. लिए जाने का प्रावधान है। आवेदक द्वारा आई.सी. आई.सी.आई. बैंक, गोपालपुरा सर्किल, जयपुर की बैंक गारंटी संख्या 6752NDDG00025641 दिनांक 16/10/2025 राशि 12,74,784.00 रु. (अक्षरे अक्षरे रूपये बारह लाख चौहत्तर हजार सात सौ चौरासी मात्र) प्रस्तुत की गई है, जिसके फलस्व भूखण्ड सं0 19 से 32 (कुल 14) क्षेत्रफल 16330 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किए जाते हैं।

### प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) उपायुक्त (.....), कोटा विकास प्राधिकरण।
- (2) रजिस्टार, रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, उद्योग भवन, द्वितीय व तृतीय तल, आर.एस.आई. सी. विंग, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, राजस्थान, जयपुर।
- (3) वीआरबी डवलपर्स एलएलपी जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री भूपेन्द्र झूरिया निवासी प्लॉट नं0 ए-1, स्कीम नं0 11, शिव भांकर कॉलोनी, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर, (राज0)।

सचिव  
कोटा विकास प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by Mukesh Kumar Choudhary  
Designation : Secretary  
Date: 2026.04.11 07:01:49 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
21555262  
M e-Sign

